झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>आपराधिक पुनरीक्षण सं0–104 वर्ष 2020</u>

(विशेष मामला सं0 21/2017, एम0सी0ए0 सं0 1631/2019 (सी0एन0आर0 सं0 जेएचडीएच01–007354–2018) के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश–द्वितीय–सह–विशेष न्यायाधीश (ए0सी0बी0), धनबाद द्वारा पारित 27.11. 2019 के आदेश के विरूद्ध)

फिरोज अंसारी उर्फ मो0 फिरोज, उम्र लगभग 51 वर्ष, पे0–मो0 हबीब, निवासी–रतारी, डाकघर एवं थाना–दुग्धा, जिला–बोकारो। वर्तमान में पंचायत सचिव, ब्लॉक–नावाडीह, डाकघर एवं थाना–नावाडीह, जिला–बोकारो।
.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

<u>उपस्थित</u>

–

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री साईबल कुमार लायक, अधिवक्ता।

ए0सी0बी0 के लिएः– श्री टी0एन0 वर्मा, विशेष पी0पी0।

न्यायालय द्वाराः–

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षों को सुना।

2. यह पुनरीक्षण याचिका विशेष मामला सं0 21/2017, एम0सी0ए0 सं0 1631/2019 (सी0एन0आर0 सं0 जेएचडीएच01–007354–2018) के संबंध में विद्वान जिला न्यायाधीश–द्वितीय–सह–विशेष न्यायाधीश (ए0सी0बी0), धनबाद द्वारा पारित दिनांक 27.11.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिनके तहत, निचली अदालत ने इस मामले से उन्मोचन के लिए याचिकाकर्त्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि शिकायतकर्त्ता द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्त्ता को एक नाली बनाने का काम आवंटित किया गया है और याचिकाकर्त्ता जो पंचायत सेवक था, वह कमीशन के रूप में कार्य की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत की दर से 12,000/– रूपये की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया और आरोप सही पाया गया और एक ट्रैप का योजना बनाया गया और याचिकाकर्त्ता को रिश्वत राशि प्राप्त करते समय रंगे हाथ पकड़ा गया। आगे यह आरोप लगाया गया है कि उनका हाथ धोया गया और विलयन का रंग गुलाबी हो गया और सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, याचिकाकर्त्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) के तहत दण्डनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साईबल कुमार लायक ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय अवैध है और उसको पारित करते समय विचारण न्यायालय ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा है कि योजना की अनुमानित लागत 2,82,800/– रूपये है, हालांकि एफ0आई0आर0 में इसका गलत उल्लेख 2,42,000/– रूपये किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि यह इस बात के तरफ इंगित करता है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि निचली अदालत बचाव पक्ष के दलील पर विचार करने में विफल रही है, क्योंकि यह बचाव पक्ष द्वारा दायर दस्तावेजों पर ठीक से विचार नहीं किया है और यह विचार करने में विफल रही कि याचिकाकर्त्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसलिए, यह निवेदन किया जाता है कि आक्षेपित आदेश को अवैध मानते हुए उसको अपास्त किया जाए और याचिकाकर्त्ता को उन्मोचित किया जाए।

5. दूसरी तरफ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव किया और निवेदन किया कि यह ट्रैप बिछाने का मामला है और आवश्यक घटक जैसे मांग, स्वीकृति और वसूली की गई है और

प्रत्येक सामग्री के संबंध में अभिलेख में पर्याप्त सबूत है और रिश्वत राशि को भी बरामद किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री रखा गया है, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (2) सहपठित 13 (1) (डी) के तहत दण्डनीय अपराध के लिए याचिकाकर्त्ता की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है और चूंकि आक्षेपित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है, इस न्यायालय द्वारा अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

6. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि अभियुक्त ने आरोप गठन के अवस्था पर प्रतिरक्षा के रूप में कोई सामग्री प्रस्तुत की और न्यायालय को उसे उन्मोचन करने के लिए राजी किया जैसा कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम0ई0 शिवलिंगमूर्ति बनाम् केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, बेंगलुरू (2020) 2 एस0सी0सी0 768 के मामले में पैरा सं0 29 में अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका पठन निम्नलिखित हैः—

> *''29. यह अभियुक्त के लिए रक्षा के माध्यम से सामग्री पर भरोसा करने और अदालत को उसे उन्मोचित करने के लिए राजी करने के लिए खुला नहीं है।''* (जोर दिया गया)

7. मामले के तथ्यों पर आते हुए, रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्त्ता के खिलाफ रिश्वत राशि माँगने, स्वीकार करने और वसूली करने

का प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप है और रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री के मद्देनजर अनुमानित राशि के संबंध में जिसके लिए निविदा मंगाई गई थी में फर्क, यदि कोई हो, याचिकाकर्त्ता–अभियुक्तों का उन्मोचन अभियोजन पूरा होने के कगार पर करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

8. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और ऊपर चर्चा किए गए विधि के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश में कोई विकृति या कोई अवैधता नहीं है जिसमें यह न्यायालय पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करें। तद्नुसार, बिना कोई गुणागुण के इस आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्याया0)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

दिनांक 4 जून, 2020

एएफआर/सोनू–गुंजन/–